Annexure-A

H

(87)

संख्या-15/डी 1-01/09 अंश-II उ0शि0-1693, दिनांक 26 अगस्त'2010

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

संकल्प

विषय:-राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिनांक 01.01.06 से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में षष्टम् पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जा चुका है। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि जब-जब राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है, तब-तब राज्य के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पदाधिकारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतनमानों को पुनरीक्षित करते हुये नया वेतनमान स्वीकृत किया गया है। अतः इस क्रम में राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पदाधिकारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए पूर्व में विभागीय संकल्पों के द्वारा दिनांक 01.01.96 के प्रभाव से स्वीकृत वेतनमानों को दिनांक 01.01.06 के प्रभाव से नये वेतन संरचना में पुनरीक्षण, वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं के पूर्ण विचारोपरान्त बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 तथा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा-35(ii) के परन्तुक के प्रावधानों के अधीन राज्य के पारम्परिक विश्वविद्यालयों उनके अधीनस्थ स्नातक स्तरीय अंगीभूत महाविद्यालयों तथा घाटानुदानित महाविद्यालयों (अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) आगे की कंडिकाओं में अंकित शर्तों एवं बंधेजो के अधीन अनुसूची-I तथा II में अंकित वेतन संरचना लागू करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में विकल्प प्रपत्र यथा शपथ पत्र वेतन निर्धारण सूत्र तथा उसकी प्रक्रिया, वेतन निर्धारण तालिका (टेबुल) तथा उदाहरण, परिशिष्ट-I से III के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

2. बिहार के विश्वविद्यालयों के अधिकारियों का वेतनमान भारत सरकार के पत्रांक-1-32/2006-U-II/U-I(ii), दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 तथा पत्रांक एफ03-1/2009-यू01, दिनांक 04.06.2009 को आधार बनाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परिचालित रेगुलेशनों तथा पदधारकों की शैक्षणिक योग्यता को यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुरुप पाये जाने एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्व से निर्धारित समकक्षता के आधार पर वर्तमान वेतनमान का पुनरीक्षण निम्नरूप से किया जायेगा:-

कुल सचिव/ महाविद्यालय निरीक्षक/वित्तीय परामर्शी/परीक्षा महानियंत्रक

(a) कुल सचिव जिसका वेतनमान 1.1.96 से 12000-16500 रु० स्वीकृत किया गया था को राजकीय संकल्प संख्या-875 दिनांक 15.03.2010 के द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि से 16400-22400 रु० का वेतनमान स्वीकृत किया गया है। अन्य पदों यथा महाविद्यालय निरीक्षक/वित्तीय परामर्शी/परीक्षा महानियंत्रक को वेतन समिति की अनुशंसा के आधार पर वेतन बैंड 37400-67000 रु० में ग्रेड पे 10,000 रु०

86

के साथ वेतन निर्धारित किया जायेगा। कुल सचिव/ महाविद्यालय निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती यू०जी०सी० के निर्धारित मापदण्डों के अधीन जारी रहेगी। वित्तीय परामर्शी के पद पर सम्प्रति कोई वेतनमान निर्धारित नहीं है। इस पद पर भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा के अतिरिक्त केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में वित या लेखा सेवा में सेवारत व्यक्तियों को भी प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर रखने पर विचार किये जाने की अनुशंसा की गयी है। प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत पदाधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अधीन सीधी भर्त्ती का प्रावधान भी रखा जायेगा। परीक्षा विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु परीक्षा महानियंत्रक का पद सृजित किये जाने तथा इसपर नियुक्ति के लिए भी कुल सचिव के लिए यू०जी०सी० के निर्धारित मापदण्डों के अधीन रखा गया है। इन दोनों पदों का कुलसचिव के समतुल्य माना जायेगा।

(b) कुलसचिव एवं अन्य समतुल्य पद हेतु स्नातकोत्तर की डिग्री 55 प्रतिशत अंकों के साथ अथवा 7 पाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड "बी" आवश्यक अनुभव, निर्धारित योग्यता एवं उसके आधार पर सीधी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया लागू रहेगी। भारत सरकार के पत्रांक सं0 1-32/2006-U-II/U-I, दिनांक 31.12.2008 तथा के द्वारा शिक्षकों के पदनामों में परिवर्त्तित हो जाने के फलस्वरूप कुलसचिव एवं समतुल्य पदों के लिए आवश्यक अनुभव की आवश्यकता निम्नरूप से निर्धारित की गयी है :-

(i) कम-से-कम 15 वर्षों का अनुभव प्राप्त सहायक प्रोफेसर के रूप में 7000 रु० के ए०जी०पी० के साथ या उससे अधिक अथवा 8 वर्षों की सेवा का अनुभव 8000 रु० के ए०जी०पी० में या उससे अधिक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासनिक पदों का अनुभव के साथ, या

(ii) शोध संस्थानों में तुलनीय (Comparable) अनुभव और/या अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्य अनुभव, या

(iii) 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव, जिससे 8 वर्षों का उपकुलसचिव या अन्य समतुल्य पदों का अनुभव मान्य किया जायेगा।

उप कुलसचिव/ वित्त पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक एवं समतुल्य पद

(a) उप कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का वेतन निर्धारण वेतन बैंड 15600-39100 रु० 7600 रु० ग्रेड पे में की जायेगी। वे पाँच वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् वेतन बैंड 37400-67000 ग्रेड पे 8700 उप कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक के रूप में उत्क्रमित होंगे तथा उच्च वेतन बैंड में उत्क्रमित होने के बावजूद वे उप कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक के रूप में ही पदनामित रहते हुए सेवा में बनाये रखी जायेंगी।

(b) उप कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक का वेतन निर्धारण वेतन बैंड 15600-39100 रु० वेतन ग्रेड 7600 रु० या 37400-67000 रु० वेतन ग्रेड 8700 रु० में जैसा भी मामला हो, उनकी सेवावधि के आधार पर निर्भर करेगा, परन्तु उन सभी को, जिन्होंने 5 वर्षों का सेवानुभव अपुनरीक्षित वेतनमान 12000-18300 में 01.01.2006 को प्राप्त कर लिया है, वेतन बैंड 37400-67000 वेतन ग्रेड 8700 के उपयुक्त प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(c) उप कुलसचिव तथा अन्य समकक्ष पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर की डिग्री न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ अथवा 7 पाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड 'बी' के साथ,

(i) सहायक प्रोफेसर के रूप मे 9 वर्षों या उससे ज्यादा का अनुभव 6000 रु० के एकेडमिक ग्रेड पे के साथ शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासनिक अनुभव, या

(ii) शोध संस्थानों में तुलनीय अनुभव और/या अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों का कार्यानुभव, या

(iii) सहायक कुलसचिव या समतुल्य पदों पर 5 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव।

(d) उप कुलसचिव और अन्य समकक्ष पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने पर वे इस पद हेतु स्वीकृत समुचित ग्रेड वेतन प्राप्त कर सकेंगे परन्तु वे शिक्षक के रूप में प्राप्त कर रहे ए०जी०पी० प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

(e) वर्तमान में जिस प्रकार का भी मामला हो, उप कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक के 75 प्रतिशत पदों को सीधी भर्त्ती के द्वारा भरा जायेगा।

(f) उप कुलसचिव एवं समकक्ष पदधारी वेतन बैंड 15600-39000 रु० ग्रेड पे 7600 रु० से उच्च वेतन बैंड में उत्क्रमित होने पर उनका पदनाम परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(g) उप कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक का 25 प्रतिशत पद सहायक कुलसचिव/सहायक वित्त पदाधिकारी/सहायक परीक्षा नियंत्रक से प्रोन्नति के द्वारा भरा जायेगा।

सहायक कुलसचिव/सहायक वित्त पदाधिकारी/सहायक परीक्षा नियंत्रक एवं समतुल्य पद

(a) इन पदों के लिए वेतन बैंड 15600-39100 रु०, ग्रेड पे 5400 रु० का अनुमान्य किया जायेगा।

(b) सहायक कुलसचिव और समकक्ष पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित वर्तमान न्यूनतम योग्यता 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री, या 7 प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड 'बी' के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड, पूर्ववत् प्रभावी माना जायेगा।

(c) सहायक कुलसचिव एवं समकक्ष पदों पर सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया रखी रहेगी।

(d) इन पदों का 50 प्रतिशत पद निम्न संवर्गों से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की प्रक्रिया रखी जायेगी। ऊपर वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान प्रोन्नति से भरे जाने की स्थिति में लागू नहीं किया जायेगा।

(e) सहायक कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पदों के कर्मी उच्च ग्रेड पे 6600 रु० वेतनबैंड 15600-39100 रु० में 8 वर्षों की सेवोपरांत उत्क्रमित हो सकेंगे बशर्ते वे वर्तमान में अपेक्षित शैक्षणिक प्रशासन के चार सप्ताह की अवधि वाले दो ट्रेनिंग प्रोग्राम में संतोषप्रद के साथ भाग ले चुके हों तथा उनके निष्पादित कार्यों का मूल्यांकन प्रतिवेदन लगातार अनुकूल रहा हो। सहायक कुलसचिव एवं समकक्ष कुल कार्यबल के 50 प्रतिशत पदों पर ही 6600 रु० तक का उच्च ग्रेड पे अनुमान्य किया जायेगा।

3. चतुर्थ चरण में हुए अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों के संबंध में समिति के प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या- 6098/97 में दिनांक 12.10. 2004 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में गठित माननीय न्यायमूर्ति श्री एस०सी० अग्रवाल कमीशन के प्रतिवेदन में सामंजन योग्य पाए गए वर्ग-III एवं वर्ग-IV के शिक्षकेतर कर्मियों की सूची दी गई है। उन सभी शिक्षकेतर कर्मियों को जिनका नाम उक्त सूची में नहीं है, उनकी सेवा विश्वविद्यालय में सामंजित नहीं की जा सकती। ऐसे व्यक्तियों की सेवा समाप्त करने की कारवाई नहीं किये जाने से अनेकों प्रकार की गंभीर विसंगतियाँ सामने आ रही हैं। चूँकि इन कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी जानी थी, अत: इस वेतन पुनरीक्षण का लाभ वैसे कर्मियों को अनुमान्य नहीं किया जायेगा।

4. अनुकम्पा के आधार पर तृतीय श्रेणी के रूप में नियुक्त कर्मी यदि स्वीकृत एवं अनुमान्य वेतनमान के पद के विरुद्ध यदि नियुक्त नहीं हैं तो उन्हें किसी स्वीकृत पद के विरुद्ध सामंजित करते हुए न्यूनतम अपुनरीक्षित वेतनमान (3050-4590) एवं यदि चतुर्थवर्गीय कर्मी स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं हैं तो उन्हें स्वीकृत पद के विरुद्ध सामंजित करते हुए पुनरीक्षित वेतनबैंड के आधार पर पुनरीक्षित वेतन का लाभ दिया जायेगा।

5. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान से उच्चतर वेतनमान पर वेतन भुगतान किया जा रहा है। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। चूँकि राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन, भत्ता या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय अनुमान्यता नहीं हो सकती, अत: राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत वेतनमान को ही आधार बनाकर वेतन पुनरीक्षित किया जायेगा।

6. प्रयोगशाला से जुड़े कर्मी यथा प्रयोगशाला प्रभारी/प्रयोगशाला सहायक/ तकनीशियन जिन्हें नियुक्ति की तिथि से ही प्रयोग-प्रदर्शक के रूप में पदनामित किया गया है, के मामले में काफी जटिलताएँ उत्पन्न हो गयी हैं अतः इन री-डेजिग्नेटेड प्रयोग-प्रदर्शकों को, जो राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से स्वीकृत पदों पर नियमित रूप से नियुक्त रहे हैं तथा जिन्हें पदनामित किये जाने में राज्य सरकार की स्वीकृति के आधार पर सक्षम आयोग द्वारा नियुक्ति में सहमति प्रदान किये जाने से संबंधित प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध हों, को प्रयोग-प्रदर्शक के रूप में पदनामित किये जाने के प्रस्ताव में यू०जी०सी० की सहमति हेतु भेजा जायेगा। यू०जी०सी० की सहमति प्राप्त होने तक तत्काल इन कर्मियों को 5500-9000 रु0 के वेतनमान के आधार पर वेतन का पुनरीक्षण किया जायेगा।

7. प्रयोगशाला प्रभारी/सहायक के पदों से प्रयोग-प्रदर्शक के रूप में पदनामित तथा कार्यरत कर्मी, जो विधिवत् रूप से स्वीकृत पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं तथा उन्हें स्नातक की डिग्री एवं निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त है, परन्तु उनको पूर्व में प्रयोग-प्रदर्शक के रूप में मान्य किये जाने अथवा पदनामित किये जाने में राज्य सरकार और आयोग की सहमति प्राप्त किये जाने से संबंधित कोई प्रामाणिक एवं सत्यापित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, को उनके वेतन का पुनरीक्षण 4500-7000 रु० के वेतनमान के आधार पर किया जायेगा।

8. वैसे प्रयोगशाला प्रभारी/सहायक जिनका पद विधिवत रूप से स्वीकृत नहीं है तथा स्टाफिंग पैटर्न तथा अन्य कारणों से उनकी सेवा की निरंतरता बनी हुई है, को समिति द्वारा तत्काल 4000-6000 रु० के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान अनुमान्य किया जायेगा।

9. राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उसके अधीनस्थ महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए अभी तक नियुक्ति की प्रक्रिया तथा विहित अर्हता का निर्धारण नहीं किये जाने के फलस्वरूप तृतीय वर्गीय कर्मियों की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है, अतः कार्यहित में विश्वविद्यालय सेवी-वर्ग के कर्मियों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया तथा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का निर्धारण अनिवार्य रूप से किये जाने तथा इनकी प्रोन्नति की नियमित व्यवस्था के निमित्त पद संवर्ग एवं पद सोपान निर्धारित किये जाने की आवश्यकता दर्शाते हुए समिति द्वारा इस संबंध में प्राप्त होनेवाले प्रतिवेदन पर अलग से विचार किया जायेगा।

10. विश्वविद्यालय तथा इसके अधीनस्थ महाविद्यालयों में आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों, लेखा संवर्ग के पदों की सीधी भर्ती की अर्हता में कम्प्यूटर ज्ञान की अर्हता अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जायेगी। सेवा नियमों में आवश्यक संशोधनों के पश्चात ही संशोधित अर्हता के अनुसार नई नियुक्तियाँ प्रारम्भ किया जायेगा।

11. चतुर्थ श्रेणी की वर्तमान में सीधी भर्ती की उपलब्ध रिक्तियों तथा निकट भविष्य में होने वाली इस श्रेणी की रिक्तियों पर कोई भर्ती न की जाये। यदि शासकीय कार्य संचालन हेतु ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता हो तो ऐसे कार्मिकों द्वारा किये जाने वाले कार्य ''आउट सोर्सिंग'' के माध्यम से कराया जायेगा।

12. राज्य सरकार के कर्मियों को बकाए वेतनादि के भुगतान में जो प्रक्रिया अपनायी गयी है उसे राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालय के कर्मियों के लिए भी लागू किया गया है। बिहार सरकार के कर्मियों का वेतन निर्धारण 01.01.2006 से लागू किया गया है परन्तु वास्तविक भुगतान 01.04.2007 से किया गया है अतः विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मियों एवं पदाधिकारियों के संदर्भ में उसी तिथि से वेतन पुनरीक्षण किया जायेगा।

13. नये वेतनमान के लागू होने पर किसी भी कर्मचारी को वर्तमान प्राप्त वेतन से कम राशि अनुमान्य नहीं किया जायगा यदि किसी कर्मचारी के साथ ऐसा हो तो उस हानि को व्यक्तिगत वेतन देकर पूरा किया जायगा। इस व्यक्तिगत वेतन को ऐसे कर्मियों को भविष्य में मिलने वाले वेतनवृद्धि में समायोजित किया जायेगा।

14. **पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन निर्धारणः**

(1) पुनरीक्षित वेतन संरचना वैचारिक रूप से दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी होगा, किन्तु पुनरीक्षित वेतन संरचना में वास्तविक भुगतान 01.04.2007 के प्रभाव से किया जायेगा। पुनरीक्षित वेतन संरचना विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जो 01.01.2006 को विधिवत रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर विश्वविद्यालय सेवा में थे और उन सभी नई नियुक्तियों पर जो उक्त तिथि को या उसके बाद की गई हो। परन्तु उन सभी कर्मचारियों के लिए जो 1 जनवरी, 2006 को निलम्बनाधीन या अवकाश पर थे या कर्तव्य पर नहीं थे, पुनरीक्षित वेतन संरचना उनके कर्तव्य पर लौटने की तिथि से लागू होगी और अनुपस्थित अवधि के लिए कोई बकाया अनुमान्य नहीं किया जायेगा।

(2) परिभाषायें :- इस संकल्प के उपबंधों में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) ''वर्तमान मूल वेतन'' से अभिप्रेत है गत्यवरोध वेतन वृद्धि सहित विहित वर्तमान वेतनमान में लिया गया वेतन, किन्तु इसमें कोई अन्य प्रकार का वेतन यथा, 'विशेष वेतन' आदि सम्मिलित नहीं है।

(ii) किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक के संबंध में ''वर्तमान वेतनमान'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक द्वारा अधिष्ठाई या स्थानापन्न हैसियत में पहली जनवरी 2006 को विधिवत रूप से स्वीकृत धारित पद के लिए लागू वर्तमान वेतनमान या यथास्थिति, उसके लिए लागू व्यक्तिगत वेतनमान।

17

81

(iii) ''वर्तमान परिलब्धियाँ'' से अभिप्रेत है, (i) वर्तमान मूल वेतन (ii) मूल वेतन पर देय महंगाई वेतन तथा (iii) मूल वेतन और महंगाई वेतन के योग पर देय महंगाई भत्ता।

(iv) अनुसूची-I के कॉलम 3 में के विनिर्दिष्ट किसी पद/ग्रेड के संबंध में ''वर्तमान वेतनमान''।

(v) ''वेतन बैंड में वेतन'' से अभिप्रेत है संलग्न अनुसूची-I के कॉलम 4 में अंकित रनिंग पे-बैंड में लिया गया वेतन ।

(vi) ''ग्रेड वेतन'' पुनरीक्षण पूर्व वेतनमानों/पदों के अनुरूप नियत राशि है।

(vii) अनुसूची-I के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट किसी पद के संबंध में ''पुनरीक्षित वेतन संरचना'' से अभिप्रेत है, उस पद के विरूद्ध उक्त अनुसूची के कॉलम 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट वेतन बैंड और ग्रेड वेतन।

(viii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में ''मूल वेतन'' से अभिप्रेत है विहित वेतन बैंड में निकाला गया वेतन के साथ-साथ लागू ग्रेड वेतन किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जिसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

(ix) ''पुनरीक्षित परिलब्धियाँ'' से अभिप्रेत है पुनरीक्षित वेतन संरचना में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक के वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का योग।

(x) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है निर्गत किये जाने संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची।

15. विकल्प का प्रयोग -

निम्नलिखित शर्त्त के अधीन कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मचारी उस तिथि तक वर्तमान वेतनमान में वेतन लेना जारी रख सकेगा जबतक वह वर्तमान वेतनमानों में अपनी अगली या उत्तरवर्ती वेतन वृद्धियाँ अर्जित करे अर्थात जबतक वह अपना पद खाली न कर दे अथवा उस वेतनमान में वेतन लेना बन्द कर दें :-

(i) वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प केवल वर्तमान पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के संबंध में ही उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) उपर्युक्त विकल्प किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अनुमान्य नहीं होगा जिनकी नियुक्ति 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद हुई हो चाहे वह विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवा में पहली बार आया हो अथवा संवर्ग बाह्य पद से स्थानान्तरण या प्रोन्नति द्वारा आया हो और उसे पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही वेतन दिया जायेगा।

(80) 18

(iii) यदि नियत अवधि के भीतर विकल्प से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होता है या सम्बद्ध कर्मचारी नियत अवधि के भीतर अपना वेतन नई वेतन संरचना में ले लेता हो तो यह समझा जायेगा कि उसने 01.01.2006 के प्रभाव से नई वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है।

(iv) वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाला विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक वर्तमान पुनरीक्षण पूर्व दरों पर महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का हकदार होगा।

(v) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा।

16. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का भुगतान :

इस संकल्प में अन्यथा उपबंधित के अलावे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मी पुनरीक्षित वेतन संरचना के उसी पद का वेतन लेगा जिस पर वह विधिवत रूप से नियुक्त हो,

परन्तु, कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक उस तिथि तक वर्तमान वेतनमान में वेतन निकालना जारी रखने का विकल्प चयन कर सकेगा जब वह वर्तमान वेतनमान में अगली या कोई उत्तरवर्ती वेतनवृद्धि अर्जित करे अथवा जबतक कि वह अपना पद खाली नहीं कर दें अथवा उस वेतनमान में वेतन निकालना बंद न कर दें;

परन्तु यह और कि वैसे मामलों में जहाँ कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक 01.01.2006 तथा इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के बीच प्रोन्नति आदि के कारण किसी उच्चतर वेतनमान में रहा हो, तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक ऐसी प्रोन्नति आदि की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में जाने का विकल्प चयन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण- 1. इस उपबंध के अधीन वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प मात्र एक वर्तमान वेतनमान के लिए ही अनुमान्य होगा।

स्पष्टीकरण- 2. उपर्युक्त विकल्प वैसे किसी व्यक्ति के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा जिसकी नियुक्ति पहली जनवरी 2006 को अथवा उसके बाद हुई हो, चाहे वह विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवा में पहली बार आया हो अथवा किसी दूसरे पद से प्रोन्नति द्वारा और उसे मात्र पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही वेतन-लेने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण- 3. जबतक की किसी मामले में विभाग विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दे, 1 जनवरी 2006 को और आगे से पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का विकल्प देने वाले या विकल्प दिया जाना समझे जाने वाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक का वेतन निर्धारण उसके उस पद के अधिष्ठाई वेतन के लिए निम्नलिखित विधि से अलग किया जायेगा; जिस पर वह ग्रहणाधिकार रखता हो, या ग्रहणाधिकार रखता यदि उसे निलंबित नहीं किया गया होता।

(क) यू०जी०सी० वेतनमान अनुमान्य किये जाने के मामले में -

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार के पत्रांक F.3-1/2009-UI दिनांक 04.06.2009 के द्वारा विहित वेतन निर्धारण वर्तमान में लिये गये निर्णयों के आलोक में तैयार किये गये अनुसूची-II के आधार पर किया जायेगा।

(ख) अन्य सभी कर्मचारियों के मामले में -

(i) वेतन बैंड/वेतनमान में वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अनुमान्य वर्तमान वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन की 186 प्रतिशत की धनराशि को अगले दस रुपये में पूर्णांकित करके निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त्त है कि जहाँ वर्तमान वेतनमान में दो या दो से अधिक क्रमिक स्तरों पर वेतन आहरित करने वाले सरकारी सेवकों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही स्तर पर वेतन निर्धारण की स्थिति हो तो ऐसे प्रत्येक दो स्तरों के लिए संशोधित वेतन बैंड में वेतन निर्धारण हेतु एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा। इस प्रयोजन के लिये वेतन वृद्धि वेतन बैंड में वेतन पर आकलित की जायेगी। उपर्युक्त वेतनवृद्धि देते समय ग्रेड वेतन को ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त ढंग से वेतन निर्धारण के फलस्वरुप यदि किसी कर्मचारी का वेतन पुनरीक्षित वेतन बैंड/वेतनमान में ऐसे स्तर पर निर्धारित हो जाता है जो पूर्व संशोधित वेतनमानों में उससे उच्च स्तर पर रहे कर्मचारी के पुनरीक्षित वेतन बैंड/वेतनमान में निर्धारित वेतन से अधिक है तो उक्त दूसरे कर्मचारी का वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा जिस सीमा तक उसका वेतन पहले कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम हो।

(iii) वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण उपर्युक्त रीति से किया जाएगा। वेतन बैंड में वेतन के अतिरिक्त पद के अनुरूप ग्रेड वेतन जैसा कि अनुसूची (i) में उपदर्शित है, भुगतेय होगा। वैसे कर्मचारियों के मामले में जो वर्तमान वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन/भत्ता प्राप्त कर रहे हैं और जिसे बिना किसी विशेष वेतन/भत्ता के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन द्वारा प्रतिस्थापित करने की अनुशंसा की गई है, पुनरीक्षित वेतन में उनके वेतन का निर्धारण उपर्युक्त खण्ड (ख) के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

टिप्पणी 1. : जहाँ किसी पद का उत्क्रमण किया गया हो वहाँ अनुमान्य वेतन बैंड में वेतन निर्धारण उपर्युक्त खण्ड (ख) (i) और (ii) में विहित रीति के अनुसार 01.01.2006 को वर्तमान मूल वेतन में 1.86 के गुणक

78

से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को अगले 10 रु0 के गुणक में पूर्णांकित कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उत्क्रमित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी भुगतेय होगा।

टिप्पणी 2. : जहाँ इस उपबंध के अधीन वेतन निर्धारण में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सेवक का वेतन, जो वर्तमान वेतनमान में पहली जनवरी 2006 के ठीक पहले उसी संवर्ग के अपने से कनीय दूसरे सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था, पुनरीक्षित वेतन बैंड में उस कनीय से निचले प्रक्रम पर ले आया जायेगा जिस प्रक्रम पर कनीय का वेतन हो।

टिप्पणी 3. : वैसे मामलों में जहाँ 1 जनवरी 2006 के पूर्व उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर कोई वरीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक पुनरीक्षित वेतन संरचना में अपने उस कनीय से कम वेतन पाता हो, जिसकी उच्चतर पद पर प्रोन्नति पहली जनवरी 2006 को या उसके बाद हुई हो वहाँ वरीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक का वेतन बैंड में वेतन बढ़ाकर उस राशि के बराबर कर दिया जायेगा जो उच्चतर पद पर उसके कनीय का वेतन बैंड में निर्धारित हुआ हो। ऐसी बढ़ोत्तरी कनीय सेवक की प्रोन्नति की तारीख से प्रभावी होगी और निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति के अध्याधीन होगी यथा;

(क) कनीय और वरीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक दोनों एक ही संवर्ग के हों और जिन पदों पर उनकी प्रोन्नति हुई हो वे एक ही संवर्ग में समरूप पद हो।

(ख) निम्नतर एवं उच्चतर पदों, जिनमें वेतन लेने के हकदार हों, के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान और पुनरीक्षित ग्रेड वेतन एक समान हो।

(ग) प्रोन्नति के समय वरीय सेवक कनीय के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो।

(घ) विसंगति प्रत्यक्षत: Fundamental Rule 22 या पुनरीक्षित वेतन संरचना में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण विनियमित करनेवाले किसी अन्य नियम या आदेश के उपबंधों को लागू करने के फलस्वरूप हुई हो, यदि कनीय पद पर भी कनीय पदाधिकारी कोई अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में वरीय से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तो वरीय पदाधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए इस टिप्पणी के उपबंध की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी 4. : यदि किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक के मामले में वर्तमान परिलब्धियाँ पुनरीक्षित परिलब्धियों से अधिक हो जाती हो तो अंतर राशि वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमत होगी जो वेतन में आगे होनेवाली वृद्धियों से समायोजित की जायेगी।

टिप्पणी 5. : जहाँ कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक 1 जनवरी 2006 को वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहा हो और उसके साथ वर्तमान परिलब्धियाँ पुनरीक्षित परिलब्धियों से बढ़ जाती हो वहाँ बढ़ जानेवाली अन्तर राशि ऐसे सेवक को वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जायेगा जो वेतन में आगे होनेवाली वृद्धियों में समायोजित होगी।

टिप्पणी 6. : नई वेतन संरचना में फिटमेंट सारणी अनुसूची के रूप में संलग्न किया जायेगा।

टिप्पणी 7. : ग्रेड वेतन किसी संवर्ग के पद सोपान के अन्तर्गत ही पदों की वरीयता का अवधारण करेगा न कि विभिन्न संवर्गों के बीच।

17. 01-01-2006 को या उसके बाद नव नियुक्त कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण:-

ऐसे मामलों में जहाँ पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान (वेतनमानों) में परिलब्धियाँ अर्थात् कार्य ग्रहण की तारीख को पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान (वेतनमानों) में (मूल वेतन, महंगाई वेतन और महंगाई भत्ता का योग) पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन और उसपर अनुमान्य महंगाई भत्ता के योग से बढ़ जाता हो, वहाँ अन्तर राशि वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जायेगा जो वेतन में आगे होनेवाली वृद्धियों से समायोजित किया जायेगा। 01.01.2006 से 01.04.2007 के बीच नियुक्त विश्वविद्यालय सेवक पुनरीक्षित वेतन संरचना में 01.04.2007 के प्रभाव से ही वित्तीय लाभ प्राप्त करेंगे।

18. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की दर : पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की दर वेतन बैंड के वेतन तथा अनुमान्य ग्रेड वेतन के योग का 3 प्रतिशत होगी जिसे अगले 10 रु0 के गुणक में पूर्णांकित किया जायेगा। इस गणना में पैसा में आनेवाले भिन्नांक को नजरअंदाज कर दिया जायेगा। यह राज्य के विश्वविद्यालयों तथा इसके अधीनस्थ महाविद्यालयों के सभी कर्मचारियों के लिए लागू किया जायेगा।

19. पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तारीख : वार्षिक वेतन वृद्धि की एक समान तारीख अर्थात हर वर्ष 1 जुलाई होगी। 1 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में छः माह या उससे अधिक पूरा करनेवाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के पात्र होंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में 01.01.2006 को वेतन निर्धारण करने के पश्चात् 01.07.2006 को प्रथम वेतन वृद्धि उन कर्मचारियों को दिया जायेगा जिनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2006 से 01.01.2007 को थी।

परन्तु, वैसे व्यक्तियों के मामले में, जो 1 जनवरी 2006 को वर्तमान वेतनमान का अधिकतम 1 वर्ष से अधिक समय से प्राप्त कर रहे थे, पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनकी अगली वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2006 को ही दे दी जायेगी। तत्पश्चात् उपर्युक्त उपबंध लागू होंगे।

टिप्पणी : एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोन्नति होने पर या किसी प्रोन्नति योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण होने पर एफ.आर. 22 (1) क (i) के अधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक को यह विकल्प होगा कि उच्चतर पद पर वेतन निर्धारण अपनी प्रोन्नति की तारीख से करावे अथवा अपनी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से अर्थात उस वर्ष की पहली जुलाई से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जायेगा:

(क) यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक अपना वेतन निर्धारण अगली वेतन वृद्धि की तारीख से कराने का विकल्प चयन करता हो तो प्रोन्नति की तारीख को वेतन बैंड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा किन्तु, उच्चतर पद का ग्रेड वेतन दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अगली वेतन वृद्धि की तारीख, अर्थात पहली जुलाई, को पुनः वेतन निर्धारित किया जायेगा। उस तारीख को उसे दो वेतन वृद्धियाँ दी जायेगी, एक वार्षिक वेतन वृद्धि और दूसरी प्रोन्नति के कारण। इन दोनों वेतन वृद्धियों की गणना करते समय प्रोन्नति की तारीख के पूर्व के मूल वेतन को ध्यान में रखा जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि प्रोन्नति की तारीख के पूर्व मूल वेतन 100 रु0 था तो प्रथम वेतन वृद्धि की गणना 100 रु0 के आधार पर की जायेगी और दूसरी की 103 रु0 के आधार पर।

(ख) यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक अपनी प्रोन्नति की तारीख से उच्चतर ग्रेड में अपना वेतन निर्धारण कराने का विकल्प चयन करता हो और उसकी प्रोन्नति दो जुलाई और 1 जनवरी के बीच हुई हो तो वह उच्चतर ग्रेड में अपनी प्रथम वेतन वृद्धि अगली 1 जुलाई को प्राप्त करेगा। किन्तु, वह यदि किसी वर्ष विशेष के 2 जनवरी और 30 जून के बीच प्रोन्नत होता हो तो वह अपनी वेतन वृद्धि अगले वर्ष के 1 जुलाई को प्राप्त करेगा।

22. अनुमान्य भत्ता

(i) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को निम्नांकित भत्ता यथा मकान किराया भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा नगर क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत किया जाता रहा है। विश्वविद्यालय एवं इसके अधीनस्थ महाविद्यालय पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पूर्व वेतन पुनरीक्षणों में महंगाई भत्ता की अनुमान्यता की समानता को राज्य कर्मियों के समतुल्य पूर्व में स्वीकार रहने की स्थिति में मंहगाई भत्तों को अनुमान्यता राज्य कर्मियों के अनुरूप दर से दिया जायेगा।

(ii) विश्वविद्यालय सेवीवर्ग के कर्मियों को मकान किराया भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता राज्य सेवावर्ग के कर्मियों के समतुल्य अनुमान्य किया जायेगा। वर्तमान में निर्गत की जानेवाली अधिसूचना की तिथि से दिया जायेगा।

(74) (iii) राज्य के विश्वविद्यालय के कर्मियों को नगर क्षतिपूर्ति भत्ता राज्य सरकार द्वारा पूर्व से दिया जा रहा है। वर्त्तमान में वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पटना में पदस्थापित सरकारी सेवकों के लिए परिवहन भत्ता एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता को एकीकृत कर शहरी परिवहन भत्ता *(City Transport Allowance)* की स्वीकृति प्रदान करते हुए नगर क्षतिपूरक भत्ता विलोपित कर दिया गया है। अतः शहरी परिवहन भत्ते को विश्वविद्यालय कर्मियों को राज्य सेवावर्ग के कर्मियों के अनुरूप अनुमान्य किया जायेगा।

(iv) चिकित्सा भत्ता की वर्तमान दर का संशोधन वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3ए-2-वे0पु0(चि0भत्ता)-21/2009-12357वि(2) दिनांक 31.12.2009 के द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों को वर्त्तमान में प्रतिमाह 100 (एक सौ) रू0 चिकित्सा भत्ता की दर को संशोधित कर 200 (दो सौ) रू0 की दर से भुगतान की स्वीकृति वर्त्तमान में निर्गत की जानेवाली अधिसूचना की तिथि से किया जायेगा।

(v) पदाधिकारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के सम्वर्ग से संबंधित वैसे अंधे/ विकलांग या अन्यान्य शारीरिक रूप से अपंग कर्मियों को सामान्य रूप से स्वीकृत दर से दूना परिवहन भत्ता देय होगी।

23. पुनरीक्षित वेतनमानों में हुई विसंगतियों का निराकरण, यदि आवश्यक हो, तो उसके निवारण हेतु वर्त्तमान समिति को ही विसंगति के मामलों की समीक्षा हेतु भेजा जायेगा।

24. दिनांक 30.9.2010 तक राज्य के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा राजकोय स्तर से निर्गत किये जाने वाले संकल्पों में अंकित शर्त्तों तथा निदेशों के अधीन पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण करते हुए समेकित माँग सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

25. नये वेतनमान में शिक्षकेतर पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को औपबंधिक वेतन भुगतान तत्काल सितम्बर,2010 के प्रभाव से राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा वित्त विभाग के प्रतिनियुक्त अंकेक्षकों द्वारा वेतन निर्धारण के पश्चात शुरू किया जायेगा।

26. वेतनवृद्धि

(i) प्रत्येक वार्षिक वेतनवृद्धि की दर कुल वेतन से संबद्ध पे बैंड एवं जी0पी0 के योग का 3 प्रतिशत राशि के समतुल्य अनुमान्य किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक अग्रिम वेतन वृद्धि की दर भी कुल वेतन से संबद्ध पे बैंड एवं जी0पी0 के योग का 3 प्रतिशत के समतुल्य अनुमान्य किया जायेगा।

(iii) इस योजना के तहत् निम्न वेतनमान से उच्च वेतनमान में प्रोन्नति हेतु कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि का प्रावधान नहीं किया जायेगा।

25 (13)

(iv) जहां पदाधिकारी एवं शिक्षकेतर कर्मचारी वर्तमान वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखते हैं और उन्हें 01 जनवरी 2006 के बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो पुनरीक्षित वेतन संरचना में बाद की तिथि से उसका वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित होगा:-

(क) वेतन बैण्ड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि में लागू मूल वेतन, महंगाई वेतन और अपुनरीक्षित दरों पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 की दर से अनुमान्य महंगाई भत्ता को जोड़ते हुए किया जायेगा। यह संख्या अगले 10 में पूर्णांकित की जायेगी और इस प्रकार निकाली गयी संख्या ही लागू वेतन बैण्ड में वेतन होगा। इसके अतिरिक्त अपुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन भी देय होगा।

(ख) पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति की स्थिति में वेतन का निर्धारण निम्नरूप से किया जायेगा। वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तद्नुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि पदोन्नति के पद के वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ पदोन्नति पद का ग्रेड वेतन देय होगा। जहां पदोन्नति में वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहां भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद भी जहां वेतन बैण्ड में आगणित वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तद्नुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

(v) प्रचलित वेतन बैंड में अगली वार्षिक वेतन वृद्धि एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह की पहली तारीख हो जायेगी। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण 1 जुलाई को चालू वेतन बैंड में 6 महीना अथवा उपर की सेवा पूरी कर चुके हैं, एक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के योग्य हो जायेंगे। दिनांक 01.01.2006 को प्रचलित वेतन बैंड में वेतन निर्धारण के पश्चात् एक वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2006 को स्वीकृत की जायगी। उन विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी जिनकी अगले वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई, 2006 से 1 जनवरी, 2007 के बीच में है। वैसे सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को, जिन्होंने दिनांक 01.02.2005 और 01.01.2006 के बीच पिछली वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त कर लिया है, के लिए भी अगली वेतनवृद्धि की तिथि 01.07.2006 होगी परन्तु उन विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को के मामले में जिन्होंने 1 जनवरी, 2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि 1 वर्ष से अधिक समय से प्राप्त कर रहे थे, उन्हें चालू वेतन संरचना में 1 जनवरी को ही वेतनवृद्धि स्वीकृत की जायेगी।

(vi) पदाधिकारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को अपने वेतन बैंड के अधिकतम प्रक्रम/सार पर पहुँचने पर वेतन निर्धारण:-

72

अगर कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पदाधिकारी एवं शिक्षकेतर कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पर पहुँच जाता है, तो अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष के पश्चात अगले उच्चतर वेतन बैंड का लाभ दिया जायेगा तथा इसके स्थापन के समय एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा। उसके पश्चात् वह उक्त वेतन बैंड में तबतक रहेगा, जबतक उनका वेतन चालू वेतन संरचना के अधिकतम तक नहीं पहुँच जाता है।

27. पुनरीक्षित वेतनमानों में हुई विसंगतियों का निराकरण, यदि आवश्यक हो, तो उसके निवारण हेतु वर्त्तमान समिति को ही विसंगति के मामलों की समीक्षा हेतु भेजा जायेगा।

28. दिनांक 31.8.2010 तक राज्य के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा राजकीय स्तर से निर्गत किये जाने वाले संकल्पों में अंकित शर्तों तथा निदेशों के अधीन पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण करते हुए अपेक्षित मांग सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

29. नये वेतनमान में शिक्षकेतर पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को औपबंधिक वेतन भुगतान तत्काल सितम्बर,2010 के प्रभाव से राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा वित्त विभाग के प्रतिनियुक्त अंकेक्षकों द्वारा वेतन निर्धारण के पश्चात शुरू किया जायेगा।

30. योजना के बांछनीय तत्व :

(i) वर्त्तमान प्रस्ताव के आधार पर यथावश्यक अधिनियम एवं परिनियम में सुधार किया जायेगा।

(ii) प्रक्रियाजनित कारणों से विलम्ब को देखते हुए तत्काल पुनरीक्षित वेतनमान में किसी भी कर्मी का तब तक भुगतान नहीं किया जायगा, जब तक उनके वेतनादि के निर्धारण में राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रतिनियुक्त वित्त विभाग के अंकेक्षकों का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाय।

(iii) विभागीय पत्रांक 759 दिनांक 01.09.1990, बिहार अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड के पत्रांक 3623-29 दिनांक 13.12.1990 एवं महामहिम कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक दिनांक 28.11.1990 के साथ संलग्न पत्रों के आलोक में विश्वविद्यालय कार्यालय, स्नातकोत्तर विभागों, स्नातकोत्तर केन्द्रों एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित इकाईयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का एक एक संवर्ग तथा अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत कर्मियों को उक्त संवर्ग में शामिल नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सेवीवर्ग के मुफ्फसिल कर्मियों के अनुरूप महाविद्यालयों का एक अलग सम्वर्ग का गठन किया जायेगा।

(iv) वर्तमान में राज्य के विश्वविद्यालयों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को क्रमशः सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के अनुसचिवीय पदों के अनुरूप तथा महाविद्यालयों में मुफस्सिल कार्यालयों के समतुल्य वेतनमान दिये जाने की अनुशंसा की गयी है। राज्य के विश्वविद्यालयों तथा इसके अधीनस्थ महाविद्यालयों में वित्त विभाग के पत्रांक 8826 दिनांक 20.12.2000 तथा पत्रांक 8825 दिनांक 20.12.2000 के अनुरूप 20.12.2000

के प्रभाव से डी-मर्जर वेतनमानों के पृथक्करण की कारवाई सुनिश्चित किये जाने के क्रम में उक्त तिथि के पश्चात् नियुक्त अथवा नियमित किये गये आशुलिपिक वर्ग-I, आशुलिपिक वर्ग-II (प्रवर कोटि), आशुलिपिक वर्ग-I, निम्नवर्गीय सहायक, उच्चवर्गीय सहायक, टंकक वर्ग-II, टंकक वर्ग-I, कनीय विपत्र लिपिक, वरीय विपत्र लिपिक, निजी सहायक, सहायक, टंकक, विपत्र लिपिक के कर्मियों को पृथक्करण के अनुरूप पदों पर अनुमान्य वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतनबैंड एवं ग्रेड वेतन अनुमान्य किया गया है। अतः इस अनुशंसा के क्रम में राज्य के विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय सम्वर्ग में नियुक्त कर्मियों को विश्वविद्यालय सम्वर्ग में पदस्थापित नहीं किये जाने के साथ-साथ पूर्व में पदस्थापित कर्मियों के उनके पैतृक स्थान पर भेजे जाने की कारवाई किया जायेगा।

(v) इस संकल्प में अन्तर्विष्ट ब्यौरे में कोई छूट या गलती पाई जाती हो तो उसके सुधार और/या अन्य उपर्युक्त कार्रवाई के लिए मानव संसाधन विकास विभाग के ध्यान आकृष्ट कराया जायेगा। यदि पुनरीक्षित वेतन संरचना से संबंधित उपबंध के कार्यान्वयन में कोई शंका/विषमता उत्पन्न हो तो उसे भी मानव संसाधन विकास विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

31. दिनांक 01.04.2007 से 31.08.2010 तक के बकाये, वेतनादि तथा महंगाई भत्ता का भुगतान संबंधित श्रोतों से सूचना प्राप्ति के उपरान्त, वास्तविक व्यय भार की गणना कर आगामी वित्तीय वर्ष 2011-2012 से 5 (पाँच) वार्षिक किस्तों में किया जा सकेगा।

32. संबंधित महाविद्यालय/विभाग विहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अपनी मांग विश्वविद्यालय को भेजेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा उसे निर्धारित प्रपत्र में स्नातकोत्तर विभागों एवं महाविद्यालयों के लिए अलग-अलग विवरणी दर्शाते हुए समेकित मांग राज्य सरकार के पास भेजी जायेगी।

33. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(के0के0 पाठक)
सरकार के सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञाप संख्या- 15/डी1-01/09 अंश-II पटना, दिनांक अगस्त 2010

प्रतिलिपिः- (अनुसूची तथा परिशिष्ट सहित) अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, पटना को बिहार गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

ह0/-
(के0के0 पाठक)
सरकार के सचिव

70

ज्ञाप संख्या- 15/डी1-01/09 अंश-II पटना, दिनांक अगस्त'2010

प्रतिलिपि:- (अनुसूची तथा परिशिष्ट सहित), प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, पटना/ संयुक्त सचिव एवं आय व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना/उपसचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना/लेखा पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना/ सम्पर्क पदाधिकारी, टी0एम0 भागलपुर विश्वविद्यालय, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 5, 14, एवं 15 तथा सभी सहायक तथा लेखापाल, मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(के0के0 पाठक)

सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या- 15/डी1-01/09 अंश-II - 8693 पटना, दिनांक 27 अगस्त'2010

प्रतिलिपि:- (अनुसूची तथा परिशिष्ट सहित), वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव तथा वित्त पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, पटना/मगध विश्वविद्यालय, बोध गया/बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर/तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर/ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा/कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा/वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा/जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा/भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा/प्रचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग/गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(के0के0 पाठक)

सरकार के सचिव

अनुसूची –I

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत तथा घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकेतर पदाधिकारियों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए (स्वीकृत पदों के विरूद्ध) अनुशंसित दिनांक 1.1.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे तालिका

क्र० सं०	पद का नाम	01.01.96 से अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना			अभ्युक्ति
			वेतन बैण्ड	पे बैण्ड का नाम	ग्रेड पे	
1	2	3	4		5	7
(क) विश्वविद्यालय मुख्यालय के सामान्य प्रशासन शिक्षकेतर पदाधिकारी की स्थापना						
1	कुल सचिव	12000–16500	15600–39100	पी0बी0–3	7600	यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर वेतन बैण्ड 37400–67000 ग्रेड पे 10000 विश्वविद्यालय सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा पर अनुमान्य होगा।
2	उप कुलसचिव एवं समतुल्य पद	6500–10500	9300–34800	पी0बी0–2	4200	यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर विश्वविद्यालय सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा पर वेतन बैण्ड 15600–39100 ग्रेड पे 7600 अनुमान्य। उप कुलसचिव को पाँच वर्षों तक की संतोषप्रद सेवावधि पूरा करने पर 37400–67000 ग्रेड पे–8700 में उत्क्रमित हो सकेंगे। पर यह पे बैंड एवं ग्रेड पे उप कुलसचिवों एवं समतुल्य पदों की कुल संख्या के दस प्रतिशत तक सीमित रहेगा।
3	सहायक कुलसचिव	5500–9000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर वेतन बैण्ड 15600–39100 ग्रेड पे 5400 विश्वविद्यालय सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा पर अनुमान्य होगा। आठ वर्ष तक इस ग्रेड में रहने पर 15600–39100 ग्रेड पे–6600 अनुमान्य होगा बशर्ते उन्होंने शैक्षणिक प्रशासन में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक कम से कम चार सप्ताह का भाग लिया हो तथा उनका मूल्यांकन कार्य संतोषप्रद हो। ग्रेड पे–6600 में अनुमान्यता सहायक कुल सचिव की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत संख्या की आधी तक ही सीमित रहेगी।
4	विकास पदाधिकारी	6500–10500	9300–34800	पी0बी0–2	4200	सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। सहायक कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप यू0 जी0 सी0 वेतनमान अनुमान्य।
5	युवा कल्याण पदाधिकारी	5500–9000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। सहायक कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप यू0 जी0 सी0 वेतनमान अनुमान्य।
6	योजना पदाधिकारी	5500–9000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। सहायक कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप यू0 जी0 सी0 वेतनमान अनुमान्य।
(ख) विश्वविद्यालय वित्त एवं अंकेक्षण विभाग						
1	वित्तीय परामर्शी	निर्धारित नहीं	37400–67000		10000	भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण सेवा, केन्द्रीय या राज्य स्तरीय लेखा या अंकेक्षण सेवाओं के अधीन समतुल्य स्तर के पद पर सेवारत पदाधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाय। यदि यह संभव नहीं हो सके तो यू0जी0सी0 द्वारा 'कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा विश्वविद्यालय समिति की अनुशंसा पर वेतन बैण्ड 37400–67000 ग्रेड पे 10000 सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा पर भरा जाय।
2	वित्त पदाधिकारी	10000–15200	15600–39100	पी0बी0–3	6600	उपकुल सचिव के समतुल्य पद। उपकुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप यू0 जी0 सी0 वेतनमान अनुमान्य।
3	बजट-सह- लेखा पदाधिकारी (सहायक वित्त पदाधिकारी के रूप में नामित)	6500–10500	9300–34800	पी0बी0–2	4200	सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। सहायक कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप यू0 जी0 सी0 वेतनमान अनुमान्य।

(68)

सं0	पद	01.01.96 से अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना			अभ्युक्ति
	250		वेतन बैण्ड	पे बैण्ड का नाम	ग्रेड पे	
1	2	3	4		5	7
	(ग) विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग					
1	परीक्षा महानियंत्रक	निर्धारित नहीं	37400–67000		10000	कुल सचिव के समतुल्य पद। कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप यू0 जी0 सी0 वेतनमान अनुमान्य। पद सृजन के योग्य ।
2	परीक्षा नियंत्रक	10000–15200	15600–39100	पी0बी0–3	6600	उपकुल सचिव के समतुल्य पद। उपकुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप यू0 जी0 सी0 वेतनमान अनुमान्य।
3	सहायक कुल सचिव (परीक्षा)		9300–34800	पी0बी0–2	4200	सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। सहायक कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप यू0 जी0 सी0 वेतनमान अनुमान्य।
	(घ) विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी					
1	महाविद्यालय, निरीक्षक	12000–16500	15600–39100	पी0बी0–3	7600	कुल सचिव के समतुल्य पद। कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप यू0 जी0 सी0 वेतनमान अनुमान्य।
2	सम्पर्क पदाधिकारी (लाईजन ऑफिसर)	10000–15200	15600–39100	पी0बी0–3	6600	कुलाधिपति द्वारा निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के आधार पर अनुमान्य वेतनमान के संबंध में विभागीय स्तर पर अलग से निर्णय लिया जाय।
	(ड़) विश्वविद्यालय/स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालयों का सामान्य स्थापना					
1	कुलपति के निजी सहायक	5500–9000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
2	प्रशासी पदाधिकारी	5500–9000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	मरणशील संवर्ग वर्तमान पदधारकों की सेवा निवृत्ति/पदत्याग/मृत्यु के साथ पद स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा नयी नियुक्ति नहीं होगी।
3	प्रशाखा पदाधिकारी	6500–10500*	9300–34800	पी0बी0–2	4200	*मानव संसाधन विकास विभाग के संकल्प/ज्ञाप संख्या–498 दिनांक 7.08.07 द्वारा 01.01.96 से संशोधित "।
4	सुपर वाईजर सेल्स एण्ड पब्लिकेशन्स'''	अपुनरीक्षित	9300–34800	पी0बी0–2	4200	प्रशाखा पदाधिकारी के समतुल्य।
5	सहायक	4000–6000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	अर्हता–स्नातक। 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा एवं 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा की जायेगी।
6	उच्च वर्गीय लिपिक	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	प्रधान लिपिक/प्रधान सहायक, प्रधान लेखापाल/लेखापाल/ [illegible] /प्रधान टंकक, सहायक लेखापाल 1.1.96 से उच्च वर्गीय लिपिक के नाम से पदनामित । वित्त विभाग के [illegible] दि० 20.12.2000 से 20.12.2000 से [illegible] के पद उच्च वर्गीय लिपिक के समतुल्य पद होंगे।
7	निम्न वर्गीय लिपिक	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	टंकक/ टिप्पणी लिपिक/डिस्पैच लिपिक [illegible] वित्त विभाग के [illegible] दि० [illegible] से 21.12.2000 से प्रभावी।
	(च) विश्वविद्यालय के आशुटंकक कर्मियों का स्थापना					
1	आशुटंकक–ग्रेड–1	5500–9000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
2	आशुटंकक–ग्रेड–2	5000–8000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
3	आशुटंकक–ग्रेड–3	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
	(छ) विश्वविद्यालय स्थापना के अन्य पद					
14	मैकेनिक कम ड्राईवर	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	
15	ड्राईवर	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	

क्र0 सं0	पद का नाम	01.01.96 से अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना			अभ्युक्ति
			वेतन बैण्ड	पे बैण्ड का नाम	ग्रेड पे	
1	2	3	4		5	7
(ज) विश्वविद्यालय/ स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालयों के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का सामान्य स्थापना						
1	डिस्ट्रीब्यूटर जूनियर	2550–3200	4440–7440	1 एस0	1300	
2	पलाय ब्वॉय	2550–3200	4440–7440	1 एस0	1300	इसका संवर्गीकरण किया जाय।
3	टेलिफोन ऑपरेटर	2650–4000	4440–7440	1 एस0	1650	
4	लेथ मिस्त्री (स्नातकोत्तर)	2650–4000	4440–7440	1 एस0	1650	
5	इलेक्ट्रीसियन	2650–4000	4440–7440	1 एस0	1650	
6	माली	2550–3200	4440–7440	1 एस0	1300	
7	चौकीदार	2550–3200	4440–7440	1 एस0	1300	
8	क्लीनर	2550–3200	4440–7440	1 एस0	1300	
9	स्वीपर	2550–3200	4440–7440	1 एस0	1300	
10	दाई	2550–3200	4440–7440	1 एस0	1300	
11	रेकर्ड सप्लायर	2610–3540	4440–7440	1 एस0	1400	
12	दफ्तरी	2610–3540	4440–7440	1 एस0	1400	
13	कुक	2610–3540	4440–7440	1 एस0	1400	
14	गैस मैन	2610–3540	4440–7440	1 एस0	1400	
15	हेड जमादार	2610–3540	4440–7440	1 एस0	1400	
16	इलेक्ट्रीसियन	2610–3540	4440–7440	1 एस0	1400	
17	बैंक पियून	2610–3540	4440–7440	1 एस0	1400	
18	नाईट गार्ड	2550–3200	4440–7440	1 एस0	1300	
19	आदेशपाल	2550–3200	4440–7440	1 एस0	1300	(मिस्त्री टू पम्पर एवं हेल्पर टू इलेक्ट्रीकल [illegible] वर्कर्स डिपार्टमेंट) दिनांक 01.01.96 से पदों को समाप्त करते हुए पदधारकों को आदेशपाल के पद पर पदस्थापित किया गया है।
20	फर्राश	2550–3200	4440–7440	1 एस0	1300	
(झ) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय स्थापना						
1	विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष	8000–13500	9300–34800	पी0बी0–2	5400	यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित अर्हता एवं शर्तों के अधीन 37400–67000 ग्रेड पे–10000 सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुमान्य होगा।
2	उप पुस्तकाध्यक्ष	8000–13500	9300–34800	पी0बी0–2	5400	यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित अर्हता एवं शर्तों के अधीन 15600–39100 ग्रेड पे–8000 सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुमान्य होगा।
3	सहायक पुस्तकाध्यक्ष (वरीय वेतनमान)/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (वरीय वेतनमान)	अस्तित्व में नहीं				यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित अर्हता एवं शर्तों के अधीन 15600–39100 ग्रेड पे–7000 सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुमान्य होगा।
4	सहायक पुस्तकाध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष	6500–10500	9300–34800	पी0बी0–2	4200	यदि यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित अर्हता हो तो 15600–39100 ग्रेड पे–6000 सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुमान्य होगा।
4	प्रोफेशनल सहायक	6500–10500	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
5	शोध सहायक	5500–9000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	

66

सं०		01.01.96 से अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना			अभ्युक्ति
			वेतन बैण्ड	पे बैण्ड का नाम	ग्रेड पे	
1	2	3	4		5	7
6	पुस्तकाध्यक्ष	4500–7000	5200–20200	पी०बी०–1	2800	यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा है अन्यथा 5200–20200 ग्रेड पे–1900 अनुमान्य होगा
7	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	4500–7000	5200–20200	पी०बी०–1	2800	यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा है अन्यथा 5200–20200 ग्रेड पे–1900 अनुमान्य होगा
8	कैटलगर	4500–7000	5200–20200	पी०बी०–1	2800	यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा है अन्यथा 5200–20200 ग्रेड पे–1900 अनुमान्य होगा
9	क्लासिफायर	4500–7000	5200–20200	पी०बी०–1	2800	यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा है अन्यथा 5200–20200 ग्रेड पे–1900 अनुमान्य होगा
12	शेल्वर (लाईब्रेरी क्लर्क)	3050–4590	5200–20200	पी०बी०–1	1900	भविष्य में मैट्रिक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र के धारकों की नियुक्ति की जायेगी लाईब्रेरी क्लर्क के रूप में पदनामित किया जाता है।
	(ज) विश्वविद्यालय के चिकित्सा पदाधिकारी का स्थापना					
1	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	12000–16500	15600–39100	पी०बी०–3	7600	मानव संसाधन विकास विभाग के संकल्प/ज्ञाप संख्या–1074 दिनांक 17.06.06 द्वारा पटना वि०वि० के चिकित्सा पदाधिकारियों का 1.01.96 से पुनरीक्षित त्रिस्तरीय वेतनमान की स्वीकृति इन शर्तों के साथ प्रदान की है कि वर्तमान धारकता एक मरणशील संवर्ग के रूप में रहेगी।
2	वरीय चिकित्सा पदाधिकारी	10000–15200 (संशोधित)	15600–39100	पी०बी०–3	6600	तदैव
3	चिकित्सा पदाधिकारी	6500–10500 (संशोधित)	9300–34800	पी०बी०–2	4200	तदैव
	(ट) विश्वविद्यालय के चिकित्सा ईकाई के अन्य कर्मियो का स्थापना					
1	कम्पाउन्डर (फार्मासिस्ट)	3050–4590	5200–20200	पी०बी०–1	1900	यदि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित फार्मासिस्ट की योग्यता हो तो ग्रेड पे–2000 अनुमान्य होगा
2	लेखापाल–सह भंडारपाल (सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी)	4000–6000	5200–20200	पी०बी०–1	2400	
3	एक्सरे टेक्निशियन	4000–6000	5200–20200	पी०बी०–1	2400	यदि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित एक्सरे टेक्निशियन के पद की योग्यता हो तो ग्रेड पे 2800 देय होगा।
4	भंडारपाल	4000–6000	5200–20200	पी०बी०–1	2400	
5	लेबोरेटरी टेक्निशियन	3200–4905	5200–20200	पी०बी०–1	2000	यदि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित लेबोरेटरी टेक्निशियन के पद की योग्यता हो तो ग्रेड पे 2800 देय होगा।
6	फार्मासिस्ट	3050–4590	5200–20200	पी०बी०–1	1900	यदि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित फार्मासिस्ट की योग्यता हो तो ग्रेड पे–2000 अनुमान्य होगा
7	कम्पाउन्डर	3050–4590	5200–20200	पी०बी०–1	1900	
8	डिस्पेंसर–कम पैथोलोजिकल लैब तकनीसियन (सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी)	3050–4590	5200–20200	पी०बी०–1	1900	
9	सेन्ट्रल डिस्पेंसरी सहायक	3050–4590	5200–20200	पी०बी०–1	1900	
10	ड्रेसर	2550–4000	4440–7440	1 एस0	1650	

क्र0 सं0	पद का नाम	01.01.96 से अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना			अभ्युक्ति
			वेतन बैण्ड	पे बैण्ड का नाम	ग्रेड पे	
1	2	3	4		5	7
11	ड्रेसर–कम टेक्निसियन (सेन्ट्रल डेस्पेन्सरी)	अपुनरीक्षित	4440–7440	1 एस0	1650	
	(ठ) विश्वविद्यालय के अभियंत्रण इकाई के अभियंताओं का स्थापना					
1	विश्वविद्यालय अभियंता	6500–10500	15600–39100	पी0बी0–3	6600	
2	सहायक अभियंता	5500–9000	9300–34800	पी0बी0–2	5400	
3	कनीय अभियंता	5000–8000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	डिप्लोमा की योग्यता होनी चाहिए तथा 01.01.96 से कनीय अभियंता के नाम से पद को पुनर्नामित किया जाता है। यह पद सम्वर्गीय मूल पद होगा
	(ड) विश्वविद्यालय के अभियंत्रण इकाई के अन्य कर्मियों का स्थापना					
1	आर्किटेक्चरल प्रारूपक	5000–8000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
2	प्रधान आर्किटेक्चरल ओवरसियर	5000–8000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
3	हेड स्टीमेटर ग्रेड–1	5000–8000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
4	ड्राफ्ट स्टीमेटर	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
5	ड्राफ्ट मैन ग्रेड–1	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
6	ड्राफ्ट मैन ग्रेड–2	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
7	स्टोर कीपर	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
8	पम्प मेकेनिक (वर्क्स डिपाटमेंट)	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
9	हेड पम्प मिस्त्री(वर्क्स डिपार्टमेंट)	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
10	लेखापाल–सह विशेष सहायक (कार्य विभाग)	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
11	पम्प मिस्त्री (कार्य विभाग)	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
12	ट्रेसर	2610–3540	5200–20200	पी0बी0–1	2000	
13	मिस्त्री	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	
14	मुख्य फीटर	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	
15	इलेक्ट्रीसियन	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	
16	प्लम्बर	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	
17	प्रयोगशाला मिस्त्री	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	
18	वर्क सरकार	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	
19	मुख्य बढ़ई	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	
20	बढ़ई	2610–3540	4440–7440	1 एस0	1400	
21	बिजली मिस्त्री	2610–3540	4440–7440	1 एस0	1400	
22	टेलिफोन ऑपरेटर	2650–4000	4440–7440	1 एस0	1650	
23	आदेशपाल	2550–3200	4440–7440	1 एस0	1300	

		[illegible] वेतनमान	वेतन संरचना			
			वेतन बैण्ड	पे बैण्ड का नाम	ग्रेड पे	
1	2	3	4		5	7
	(ढ) विश्वविद्यालय के अंकेक्षक इकाई का स्थापना					
1	अंकेक्षक ग्रेड–1 (आंतरिक अंकेक्षक)	5500–9000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
2	अंकेक्षक ग्रेड–2	5500–9000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
3	अंकेक्षक	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2800	
	(ण) विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर कर्मियों का स्थापना					
1	कम्प्यूटर टेकनिसियन	8000–13500	9300–34800	पी0बी0–2	5400	बी0टेक के साथ कम्प्यूटिंग में अनुभव अथवा एम0एस0सी0 फिजिकल साईंस के साथ दो वर्षों की कम्प्यूटिंग का अनुभव अथवा एम0एस0सी0 फिजिकल साईंस और यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन (डी0सी0ए0) प्रमाण पत्र एवं कम्प्यूटिंग में एक वर्ष का अनुभव अथवा एम0सी0ए0 की डिग्री; उपर्युक्त अर्हता प्राप्त नहीं रहने पर ग्रेड पे-4200 अनुमान्य होगा।
2	प्रोग्रामर	अपुनरीक्षित	9300–34800	पी0बी0–2	5400	
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर	अपुनरीक्षित	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
4	के0 पंच ऑपरेटर (कनीय कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में पुनर्नामित)	अपुनरीक्षित	5200–20200	पी0बी0–1	2800	
	(त) विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला (लैब) के कर्मियों का स्थापना					
1	आर्कैलोजिकल कैमिस्ट स्नातकोत्तर (ए0आई0एच0ए0)	5000–8000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
2	माइक्रोएनालिस्ट	अपुनरीक्षित	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
3	इस्पेक्ट्रो ग्राफिक एनालिस्ट	अपुनरीक्षित	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
4	इलेक्ट्रॉनिक टेकनिसियन (पी0जी0 रसायन विज्ञान)	अपुनरीक्षित	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
5	इलेक्ट्रॉनिक टेकनिसियन (पी0जी0 भौतिक)	अपुनरीक्षित	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
6	सिनियर टेक्निकल सहायक (स्नातकोत्तर विभाग)	5500–9000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
7	माइक्रोफोटोग्राफर, आरक्योलॉजी फोटो ग्राफर, पेन्टीग इन्स्ट्रक्टर	4500–7000	5200–20200	पी0बी0–1	2800	डिग्री या डिप्लोमा योग्यता धारी को ही अनुमान्य अन्यथा 5200–20200 ग्रेड पे–2400
8	ड्राफ्ट्समैन पी0जी0 (भूगोल)	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
9	सांख्यिकी विद	5000–8000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	पद की योग्यता गणित/सांख्यिकी में स्नातक की है अन्यथा 4000–6000 का वेतनमान अनुमान्य होगा।

(63)

क्र0 सं0	पद का नाम	01.01.96 से अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना			अभ्युक्ति
			वेतन बैण्ड	पे बैण्ड का नाम	ग्रेड पे	
1	2	3	4		5	7
10	कलाकार–सह सांख्यिकी विद	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
11	एक्सप्लोरेशन एण्ड टेकनिकल असिस्टेन्ट	5000–8000	9300–34800	पी0बी0–2	4200	
12	तबलावादक ग्रेड–1	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
13	तबलावादक ग्रेड–2	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	
14	सिनियर ड्राफ्टसमैन, (स्नातकोत्तर विभाग)	4500–7000	5200–20200	पी0बी0–1	2800	
15	सर्वेयर (स्नातकोत्तर विभाग)	4500–7000	5200–20200	पी0बी0–1	2800	
16	स्पेशल असिस्टेन्ट (स्नाकोत्तर विभाग)	4500–7000	5200–20200	पी0बी0–1	2800	
17	इलेक्ट्रोन मैक्रोस्कोप तकनिसियन	4500–7000	5200–20200	पी0बी0–1	2800	
18	लैब इन्चार्ज (ग्रेजुएट)/ पदनामित प्रयोग प्रदर्शक	4500–7000/ 4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	यदि स्नातक एवं प्रशिक्षित टेक्निसियन हो तो वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे–2800 अनुमान्य होगा
19	मैप प्रोसेसिंग असिस्टेन्ट स्नातकोत्तर भूगोल विभाग	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
20	लेबोरेटरी सहायक	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
21	लैब इन्चार्ज (आई0एस0सी0)	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
22	कनीय प्रयोगशाला सहायक	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
23	क्षेत्रीय सहायक (प्रयोगशाला)	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
24	इन्स्ट्रूमेंट कीपर (पी0जी0)	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	
25	प्रयोगशाला तकनीसियन	3200–4900	5200–20200	पी0बी0–1	2000	
26	असिस्टेन्ट ड्राफ्ट मैन	3200–4900	5200–20200	पी0बी0–1	2000	
27	ग्लास बलोअर	3200–4900	5200–20200	पी0बी0–1	2000	
28	सॉर्टर–कम एकाउन्टेन्ट (स्नाकोत्तर इतिहास विभाग)	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	
29	स्पेसीमेन कलक्टर (पी0जी0 बॉटनी)	2610–3540	4440–7440	1 एस0	1400	
30	लैब बियरर	2610–3540	4440–7440	1 एस0	1400	
31	एनीमल कीपर सिनियर	2550–3200	4440–7440	1 एस0	1300	बाइंग फीडर पद पर मृत्यु/सेवा निवृत्ति के पश्चात पद समाप्त हो जायेगा
	(ख) विश्वविद्यालय प्रेस कर्मियों का स्थापना					
1	मुद्रणालय अधीक्षक	6500–10500	9300–34800	पी0बी0–2	4200	

क्र0 सं0	पद का नाम	01.01.96 से अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना			अभ्युक्ति 35 (60)
			वेतन बैण्ड	पे बैण्ड का नाम	ग्रेड पे	
1	2	3	4		5	7
33	फार्म लिफ्टर कम फूली (पटना यूनिवर्सिटी प्रेस)	2610—3540	4440—7440	1 एस0	1400	
34	प्रेस बाईन्डर	2610—3540	4440—7440	1 एस0	1400	

अंगीभूत तथा घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों का स्थापना						
(क) महाविद्यालय का सामान्य स्थापना						
1	प्रधान लिपिक	5000—8000	9300—34800	पी0बी0—2	4200	
2	प्रधान लिपिक (लेखा)	5000—8000	9300—34800	पी0बी0—2	4200	
3	उच्च वर्गीय लिपिक	4000—6000	5200—20200	पी0बी0—1	2400	महाविद्यालय के पद उच्चवर्गीय लिपिक के समतुल्य पद होंगे।
4	निम्न वर्गीय लिपिक	3050—4590	5200—20200	पी0बी0—1	1900	
5	वाहन चालक	3050—4590	5200—20200	पी0बी0—1	1900	
6	मिस्त्री–सह–वाहन चालक	3050—4590	5200—20200	पी0बी0—1	1900	
7	माली	2550—3200	4440—7440	1 एस0	1300	
8	चौकीदार	2550—3200	4440—7440	1 एस0	1300	
9	क्लीनर	2550—3200	4440—7440	1 एस0	1300	
10	स्वीपर	2550—3200	4440—7440	1 एस0	1300	
11	दाई	2550—3200	4440—7440	1 एस0	1300	
12	रात्रि प्रहरी	2550—3200	4440—7440	1 एस0	1300	
13	आदेशपाल	2550—3200	4440—7440	1 एस0	1300	
	(ख) महाविद्यालय पुस्तकालय इकाई					
1	महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (सलेक्शन ग्रेड)	अस्तित्व में नहीं				यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित अर्हता एवं शर्तों के अधीन महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष सलेक्शन ग्रेड के रूप में वेतन बैण्ड 15600—39100 ग्रेड पे–8000 सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुमान्य होगा।
2	महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (वरीय वेतनमान)	अस्तित्व में नहीं				यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित अर्हता एवं शर्तों के अधीन 15600—39100 ग्रेड पे–7000 सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुमान्य होगा।
3	महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष	6500—10500	9300—34800	पी0बी0—2	4200	यदि यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित अर्हता हो तो 15600—39100 ग्रेड पे–8000 सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुमान्य होगा।
4	महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष	5000—8000	9300—34800	पी0बी0—2	4200	यदि यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित अर्हता हो तो 15600—39100 ग्रेड पे–8000 सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुमान्य होगा।
5	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	4500—7000	5200—20200	पी0बी0—1	2800	यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा है अन्यथा 5200—20200 ग्रेड पे–1900 अनुमान्य होगा।
6	कैटलगर	4500—7000	5200—20200	पी0बी0—1	2800	यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा है अन्यथा 5200—20200 ग्रेड पे–1900 अनुमान्य होगा।
7	[illegible]	4500—7000	5200—20200	पी0बी0—1	2800	यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा है अन्यथा 5200—20200 ग्रेड पे–1900 अनुमान्य होगा।
8	पी0एल0 असिस्टेन्ट	4500—7000	5200—20200	पी0बी0—1	2800	यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा है अन्यथा 5200—20200 ग्रेड पे–1900 अनुमान्य होगा।

(60) 36

सं0		अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना			अभ्युक्ति
			वेतन बैण्ड	पे बैण्ड का नाम	ग्रेड पे	
1	2	3	4		5	7
9	पुस्तकालय सहायक	4500—7000	5200—20200	पी0बी0—1	2800	यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा है अन्यथा 5200—20200 ग्रेड पे—1900 अनुमान्य होगा।
10	उच्च वर्गीय लिपिक (पुस्तकालय में)	4000—6000	5200—20200	पी0बी0—1	2400	
11	सॉर्टर	3050—4590	5200—20200	पी0बी0—1	1900	भविष्य में मैट्रिक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों की नियुक्ति की जायेगी लाइब्रेरी क्लर्क के रूप में पदनामित किया जाता है।
12	निम्न वर्गीय लिपिक (पुस्तकालय में)	3050—4590	5200—20200	पी0बी0—1	1900	
13	पुस्तकालय सहायक	3050—4590	5200—20200	पी0बी0—1	1900	भविष्य में मैट्रिक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र धारकों की नियुक्ति की जायेगी पुस्तकालय लिपिक के रूप में पदनामित किया जाता है।
14	पुस्तकालय अटेन्डेन्ट	2550—3200	4440—7440	1 एस0	1300	
	(ग) महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा अनुदेशक इकाई					
1	महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा निदेशक (सलेक्शन ग्रेड)	अस्तित्व में नहीं				यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित अर्हता एवं शर्तों के अधीन महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा निदेशक (सलेक्शन ग्रेड) के रूप में वेतन बैंड 15600—39100 ग्रेड पे—[illegible] सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुमान्य होगा।
2	महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरीय वेतनमान)	अस्तित्व में नहीं				यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित अर्हता एवं शर्तों के अधीन महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरीय वेतनमान) 15600—39100 ग्रेड पे—7000 सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुमान्य होगा।
3	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	5000—8000	9300—34800	पी0बी0—2	4200	यदि यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित अर्हता हो तो महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा निदेशक के रूप में 15600—39100 ग्रेड पे—6000 सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुमान्य होगा।
4	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	4000—6000	5200—20200	पी0बी0—1	2400	
5	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	3050—4590	5200—20200	पी0बी0—1	1900	
6	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	3050—4590	5200—20200	पी0बी0—1	1900	
	(घ) महाविद्यालय के प्रयोगशाला (लैब) एवं अन्य सदृश्य स्थापना					
1	कनीय अभियंता	5000—8000	9300—34800	पी0बी0—2	4200	
2	आर्ट शिक्षक (पटना वोमेंस ट्रेनिंग कॉलेज)	5000—8000	9300—34800	पी0बी0—2	4200	
3	लैब इन्चार्ज (ग्रेजुएट)	4500—7000	5200—20200	पी0बी0—1	2800	प्रशिक्षित उत्तीर्णताधारी को ही यह वेतनमान अनुमान्य होगा अन्यथा 5200—20200 ग्रेड पे—2400 अनुमान्य होगा।
4	आर्टिस्ट—कम फोटो ग्राफर	4500—7000	5200—20200	पी0बी0—1	2800	डिग्री/डिप्लोमाधारी को ही अनुमान्य होगा। अन्यथा 5200—20200 ग्रेड पे—2400 अनुमान्य होगा।
5	पेन्टींग इन्सट्रक्टर	4500—7000	5200—20200	पी0बी0—1	2800	डिग्री/डिप्लोमाधारी को ही अनुमान्य होगा। अन्यथा 5200—20200 ग्रेड पे—2400 अनुमान्य होगा।
6	फोटो ग्राफर	4500—7000	5200—20200	पी0बी0—1	2800	डिग्री/डिप्लोमाधारी को ही अनुमान्य होगा। अन्यथा 5200—20200 ग्रेड पे—2400 अनुमान्य होगा।

क्र0 सं0	पद का नाम	01.01.96 से अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना			अभ्युक्ति 37
			वेतन बैण्ड	पे बैण्ड का नाम	ग्रेड पे	
1	2	3	4		5	7
7	फोटो इन्स्ट्रक्टर	4500–7000	5200–20200	पी0बी0–1	2800	डीग्री/डिप्लोमाधारी को ही अनुमान्य होगा। अन्यथा 5200–20200 ग्रेड पे–2400 अनुमान्य होगा।
8	क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर	4500–7000	5200–20200	पी0बी0–1	2800	डीग्री/डिप्लोमाधारी को ही अनुमान्य होगा। अन्यथा 5200–20200 ग्रेड पे–2400 अनुमान्य होगा।
7	आर्टिस्ट	4500–7000	5200–20200	पी0बी0–1	2800	डीग्री/डिप्लोमाधारी को ही अनुमान्य होगा। अन्यथा 5200–20200 ग्रेड पे–2400 अनुमान्य होगा।
8	आर्ट टीचर	4500–7000	5200–20200	पी0बी0–1	2800	डीग्री/डिप्लोमाधारी को ही अनुमान्य होगा। अन्यथा 5200–20200 ग्रेड पे–2400 अनुमान्य होगा।
9	लेबोरेटरी सहायक	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
10	लैब इन्चार्ज (आई0एस0सी0)	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
11	जूनियर लैब सहायक	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
12	स्टोर कीपर (भंडारपाल)	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
17	सितारवादक	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
18	संगीत अनुदेशक	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
19	तबलावादक	4000–6000	5200–20200	पी0बी0–1	2400	
13)	लेबोरेटरी तकनीसियन	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	2000	
20	तबलावादक	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	
27	सेक्सन कटर (पी0जी0)	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	
21	मैकेनिक	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	भविष्य में आई0टी0आई0 प्रशिक्षण प्राप्त करने पर ही नियुक्ति होगी ।
22	कनीय सहायक	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	
23	निम्नवर्गीय लिपिक	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	लिपिक के पदनाम 20.12.2000 से निम्नवर्गीय लिपिक हो गया है ।
24	कम्पाउन्डर	3050–4590	5200–20200	पी0बी0–1	1900	
14	लेबोरेटरी तकनिसियन	3200–4900	5200–20200	पी0बी0–1	2000	
15	ग्लास ब्लोअर	3200–4900	5200–20200	पी0बी0–1	2000	
16	लैब बियरर	2610–3540	4440–7440	1 एस0	1400	
25	एनिमल कीपर (सिनियर)	2550–3200	4440–7440	1 एस0	1300	मरणशील सम्वर्ग वर्तमान पदधारकों की सेवा निवृत्ति/पदत्याग/मृत्यु के साथ पद स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा नयी नियुक्ति नहीं होगी ।
26	एनिमल कीपर (जूनियर)	2550–3200	4440–7440	1 एस0	1300	एनिमल कीपर के नाम से पद को पुनर्नामित किया जाता है ।
26	फर्रास	2550–3200	4440–7440	1 एस0	1300	